सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 30 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–19.02.2024

GCMS ID–2024 / 171

1. भूली बाई पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

दिनांक :– 10 / 03 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 233 खसरा संख्या 953 रकबा 0.2590 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर निरन्तर काश्त करती चली आ रही है, जो राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम भूरी पत्नी भूरा हो रहा है। उपरोक्त कृषि भूमियों की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सहवन से भूली बाई पत्नी भंवरलाल के स्थान पर भूरी पत्नी भूरा अंकित हो गया है। प्रार्थीया अन्यन्त गरीब काश्तकार है, जो परिवार सहित उक्त भूमियों पर आश्रित है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम भूरी पत्नी भूरा दर्ज होने से सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रार्थीया उक्त भूमियों की हिस्सेनुसार लगान, पिलाई, राज्य सरकार को अदा करती चली आ रही है, कोई बकाया नहीं है, अगर फिर भी बकाया निकलता है तो अदा करने को तैयार है। प्रार्थीया के पास उक्त भूमियों के सिवाय आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है, राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में सहवन से प्रार्थीया का नाम भूली बाई पत्नी भंवरलाल के स्थान पर भूरी पत्नी भूरा अंकित हो गया है। प्रार्थीया दिनांक 10.08.2023 को भूमि पर ऋण लेने के लिए नकल लेने पटवारी साहब के पास गया तो पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम भूरी पत्नी भूरा अंकित हो रहा है, जब कि सम्पूर्ण दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम भूली बाई पत्नी भंवरलाल अंकित हो रहा है, इसलिए भूरी पत्नी भूरा को दुरूस्त कर भूली बाई पत्नी भंवरलाल दर्ज करवाने बाबत् प्रार्थीया ने दिनांक 13.08.2023 को नकल प्राप्त कर उसी दिन श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली को भी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा बाद न्यायालय आदेश के ही राजस्व रिकॉर्ड में भूरी पत्नी भूरा को विलोपित कर उसके स्थान पर भूली बाई पत्नी भंवरलाल का नाम अंकित किये जाने को कहा इसलिए प्रार्थीया के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। प्रार्थीया काबिज खातेदार आसामी होने से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अपना नाम भूरी पतनी भूरा को दुरूस्त करवाकर भूली बाई पत्नी भंवरलाल अंकित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में भूरी पत्नी भूरा विलोपित कर भूली बाई पत्नी भंवरलाल अंकित नहीं किया गया तो प्रार्थीया को आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से भी सम्भव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीया सरकारी कार्य योजनाओं के लाभ से सदैव के लिए वंचित हो जायेगी। प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क के अन्दर अवधि न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त भूमिया न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में विस्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 233 खसरा संख्या 953 रकबा 0.2590 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरदा के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी के अंकित प्रार्थीया का नाम भूरी पत्नी भूरा को विलोपित कर उक्त स्थान पर भूली बाई पत्नी भंवरलाल प्रविष्ठ किये जाने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम भूरी पत्नी भूरा के स्थान भूली बाई पत्नी भंवरलाल अंकित किये जाने आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीया के पक्ष में सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/998 दिनांक :–31.12.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ठीकरदा की भूमि खाता संख्या 233 के खसरा संख्या 953 में प्रार्थीया का नाम भूरी पत्नी भूरा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खसरा नम्बर में दर्ज भूरी पत्नी भूरा व भूली बाई पत्नी भंवरलाल एक ही के नाम है। जिनको भूरी पत्नी भूरा के स्थान पर भूली बाई पत्नी भंवरलाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम भूली बाई पत्नी भंवरलाल है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का नाम भूली बाई पत्नी भंवरलाल दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा के खाता संख्या 233 खसरा संख्या 953 रकबा 0.2590 हैक्टेयर में दर्ज भूरी पत्नी भूरा के स्थान पर भूली बाई पत्नी भंवरलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 10.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

10/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446